न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 26 / 2024 **दायर दिनांकः 27.11.2024**

उनवान

1. आईवी आयु 50 वर्ष पुत्री एन्ड्रू पत्नी अनिल जाति ईसाई निवासी पिपलोद हाल मु० रिद्धी विनायक विहार ग्राम गगाणा जोधपुर (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :–

प्रार्थिया :–विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर

अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 28.04.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता सं 272 के खसरा नं 639 का रकबा 0.30 हे०, खसरा नं 679 / 956 का रकबा 1.30 हे०, खसरा नं 680 का रकबा 0.63 हे० कुल किता 3 का रकबा 2.23 हे0 एवं ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता सं 234 के खसरा नं 372 / 1107 का रकबा 0.08 हे०, खसरा नं 396 का रकबा 0.34 हे0, खसरा नं 398 का रकबा 0.04 हे०, खसरा नं 400 का रकबा 0.17 हे0, खसरा नं 784 का रकबा 0.02 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 0.65 हे0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है । नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से आईवी के स्थान पर आई ई वी रोजनील एवं आईबी रोजनिल अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीया का सही नाम आईवी है जो कि उसके आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में भी आईवी नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत पिपलोद द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी आईवी नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया राजस्व

कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम आई ई वी रोजनील एवं आईबी रोजनिल के स्थान पर आईवी दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक कार्य से प्रार्थीया का नाम आई ई वी रोजनील एवं आईबी रोजनिल कर देने से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होनें से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल पिपलोद पटवार हल्का अर्डान्द तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता सं 272 के खसरा नं 639 का रकबा 0.30 हे०, खसरा नं 679/956 का रकबा 1.30 हे०, खसरा नं 680 का रकबा 0.63 हे० कुल किता 3 का रकबा 2.23 हे0 एवं ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता से 234 के खसरा नं 372/1107 का रकबा 0.08 हे०, खसरा नं 396 का रकबा 0.34 हे०, खसरा नं 398 का रकबा 0.04 हे०, खसरा नं 400 का रकबा 0.17 हे0, खसरा नं 784 का रकबा 0.02 हे० कुल किता 5 का रकबा 0.65 हे0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। आराजी में प्रार्थीया का नाम आईवी दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/911 दिनांक 21.04.2025 को शामिल फाईल किया गया। अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पिपलोद सम्वत 2073–76 खाता संख्या 272, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पिपलोद सम्वत 2073–76 खाता संख्या 234, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, शपथ पत्र रीटा व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पिपलोद के खाता संख्या 234 के खसरा नं 372/1107 का रकबा 0.08 है0, खसरा नं 396 का रकबा 0.34 है0, खसरा नं 398 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं 400 का रकबा 0.17 है0, खसरा नं 784 का रकबा 0.02 है0 कुल 5 किता का रकबा 0.65 हे० आईवी रोजनील पुत्री एन्ड्रू हिस्सा 1/5 सामलाती दर्ज है तथा ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 272 के खसरा नं 679 का रकबा 0.30 है0, खसरा नं 679/956 का रकबा 1.30 है0, खसरा नं 680 का रकबा 0.63 है0 कुल 3 किता का रकबा 2.23 हे0 आराजी में आईवी रोजनील पुत्री एन्ड्रू का हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड था जिसकों दिनांक 17.12.2024 के नामान्तकरण संख्या 1200 से आईवी रोजनील द्वारा बेचान कर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 234 के खसरा नं 372/1107 का रकबा 0.08 है0, खसरा नं 396 का रकबा 0.34 है0, खसरा नं 398 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं 400 का रकबा 0.17 है0, खसरा नं 784 का रकबा 0.02 है0 कुल 5 किता का रकबा 0.65 हे० आराजी में सहखातेदार आई.ई. वी रोजनील पुत्री एन्ड्ररू के स्थान पर आईवी उर्फ आई.ई.वी रोजनील पुत्री एन्ड्ररू किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 234 के खसरा नं 372/1107 का रकबा 0.08 है0, खसरा नं 396 का रकबा 0.34 है0, खसरा नं 398 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं 400 का रकबा 0.17 है0, खसरा नं 784 का रकबा 0.02 है0 कुल 5 किता का रकबा 0.65 हे० आराजी में सहखातेदार आई. ई. वी रोजनील पुत्री एन्ड्ररू के स्थान पर आईवी उर्फ आई.ई.वी रोजनील पुत्री एन्ड्ररू दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भिजवायी जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां